

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

2 सी लिमिट

प्रेषक,

सिद्धनाथ राम,  
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,  
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:-

जिला अतिथि गृह के कमरों के किराया का पुनरीक्षण ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कहना है कि राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित जिला अतिथि गृहों के कमरों के किराया का पुनरीक्षण निम्न रूप से करने का निर्णय लिया गया :-

क्रं.	शर्तें	वातानुकूलित (रु. में)	गैर वातानुकूलित (रु. में)
1	2	3	4
1.	सरकारी कार्य हेतु सरकारी व्यक्तियों के लिए	75.00 (प्रति दिन प्रति कमरा)	50.00 (प्रति दिन प्रति कमरा)
2.	गैर-सरकारी कार्य हेतु सरकारी व्यक्तियों के लिए	150.00 (प्रति दिन प्रति कमरा)	100.00 (प्रति दिन प्रति कमरा)
3.	गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिए (कमरा उपलब्ध होने की स्थिति में)	300.00 (प्रति दिन प्रति कमरा)	200.00 (प्रति दिन प्रति कमरा)

2. जिला अतिथि गृह, पटना एवं नालंदा जिलान्तर्गत जिला अतिथि गृह, बिहारशरीफ और राजगीर के कमरों के किराये का पुनरीक्षण निम्न रूप से करने का निर्णय लिया गया है :-

क्रं.	शर्तें	वातानुकूलित (रु. में)	गैर वातानुकूलित (रु. में)
1	2	3	4
1.	सरकारी कार्य हेतु सरकारी व्यक्तियों के लिए	100.00 (प्रति दिन प्रति कमरा)	60.00 (प्रति दिन प्रति कमरा)
2.	गैर-सरकारी कार्य हेतु सरकारी व्यक्तियों के लिए	200.00 (प्रति दिन प्रति कमरा)	120.00 (प्रति दिन प्रति कमरा)
3.	गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिए (कमरा उपलब्ध होने की स्थिति में)	400.00 (प्रति दिन प्रति कमरा)	240.00 (प्रति दिन प्रति कमरा)

उपर्युक्त दरों के अतिरिक्त शेष सभी शर्तें पूर्ववत् रहेंगी । विभागीय पत्रांक-6078 दिनांक 23.06.2010 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

(कृ० पृ० ३०)

W.P.  
10/7/13

31/7/13

उपर्युक्त दरें पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगी ।

ह0/-  
(सिद्धनाथ राम)  
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक-10/जि0अ0गृ0-002-03/2010 सा0प्र0...2146/पटना-15, दिनांक 6.2.13

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सदस्य राजस्व पर्षद/अध्यक्ष, लोक उद्योग ब्यूरो/ सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सामान्य प्रशासन विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6.2.13

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक 34-2(A) नज्वात दिनांक 07/02/2013

प्रतिलिपि अगुमंडल पदाधिकारी, उच्च न्यायालय को सूचनायें प्रेषित ।

प्रतिलिपि केअव ईकर. पपीसन/जिला अतिरिक्त अधीक्षक को सूचनायें एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22-02-13  
क/10 क/10  
क/13

जिला नज्वात उपसमाहर्ता  
अधीक्षक